हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

चौदहवां सत्र

वीरवार, 10 मार्च, 2022/19 फाल्गुन,1943(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री,** संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग(सचिवालय प्रशासन सेवाएं), वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्या:पीईआर-(एसएएस-I)ए(3)-1/2020 दिनांक 28.02.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 28.02.2022 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(2) **डॉ0 राजीव सैज़ल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री,** संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मेडिकल एजुकेशन सर्विस(बारहवां संशोधन, रूल्ज़, 2021 जोकि अधिसूचना संख्या:एच0एफ0डब्ल्यू0-बी(ए)3-6/2019 दिनांक 12.04.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.04.2021 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

3. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन :</u>

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2021-22),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-

(i) समिति का **213वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 49वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **214वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 50वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का **215वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 51वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iv) समिति का **216वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 52वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्री रमेश चन्द ध्वाला, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2021-22),** समिति का **22वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि परिवहन विभाग के विकासात्मक कार्यों एवं आय-व्ययक प्राक्कलनों की संवीक्षा पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(3) **कर्नल इन्द्र सिंह, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2021-22),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(i) समिति का **55वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 19वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम सीमित** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **56वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 40वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2020-21) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम** से सम्बन्धित है ।

4. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन:

कार्य-सलाहकार समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया जाएगा तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया जाएगा ।

5. गैर-सरकारी सदस्य कार्य :

"संकल्प"

(गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची संलग्न है)

शिमला-171004   यशपाल शर्मा,
दिनांक: 09 मार्च, 2022   सचिव ।

***

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

'संकल्प'

चौदहवां सत्र

वीरवार, दिनांक 10 मार्च, 2022 को चर्चा हेतु लिए जाने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची:

क्र0सं0	सदस्य का नाम	उद्धरण
पिछले गैर-सरकारी दिवस में प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी ।		
	श्री राकेश सिंघा:	"This House may frame a policy to grant relief amounting to 50% of the loss incurred due to natural calamities on agricultural and horticultural produce and enhance the relief amount to Five Lacs on the destruction of the house due to fire"
1.	श्री रमेश चंद ध्वाला श्री बलबीर सिंह वर्मा	"प्लास्टिक से बढ़ते प्रदूषण व उसके खाने से पशुओं की हो रही अकाल मृत्यु तथा बेसहारा पशुओं के लिए बनाए गए गौ-सदनों के रख-रखाव हेतु नीति बनाने पर यह सदन विचार करे।"
2.	श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खु:	"To create Legislative Council to give representation under Article 171 of the Constitution of India to Panchayati Raj, Media, Academicians Institution and other representatives of the society and also amend the Article 171(1) to delete the proviso and to enable to constitute Legislative Council in the State of Himachal Pradesh."
3.	कर्नल इन्द्र सिंह:	"शैक्षणिक संस्थानों के नजदीक बच्चों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालने वाले खाद्य पदार्थों जैसे जंक फूड इत्यादि की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने पर यह सदन विचार करे ।"

सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा ।

****

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(चौदहवां सत्र)

वीरवार, 10 मार्च, 2022/ 19 फाल्गुन, 1943 (शक्) के लिए निर्धारित

"शुद्धिपत्र"

मद संख्या	शुद्धियां

अतारांकित प्रश्न

2078	"(क) भाग की चौथी पंक्ति में यदि टेंडर के बाद ऑफलाइन को "**ऑनलाइन**" पढ़ा जाए तथा "**ऑनलाइन न करने के क्या**" को विलोप किया गया व पांचवी पंक्ति में "**रहे**" को विलोप किया गया ।"

शिमला-171004
दिनांक: 09.03.2022

यशपाल शर्मा,
सचिव।

****